न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019

1. सहीराम पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम घोडीवारा खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. सुरेन्द्र पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम घोडीवारा खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. धर्मेन्द्र पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम घोडीवारा खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. बिमला देवी पत्नी मुकन्दाराम जाति जाट निवासी घोड़ीवारा खुर्द तहसील नवलगए जिला झुन्झुनू।

—आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 12 मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू।
2. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0

वकील आवेदक— श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील अनावेदक—श्री राकेश कुमार सारस्वत

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भमि खाता संख्या 205 पुराना 120 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हेक्टर स्थित है, जो प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि है। जो कि इसके साथ ही पश्चिम दिशा में लगती अप्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 121 पुराना 201 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 1.09 हैक्टर स्थित है।

उपरोक्त वर्णित सभी खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी पडोसी खातेदार है तथा प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर के खेत में आने—जाने को कोई रास्ता नही है, जिससे प्रार्थीगण को रास्ते बाबत काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी नम्बर 1 का स्वयं का एक प्लॉट 458.30 वर्गगज का जो अप्रार्थी के व मैन सडक मुकुन्दगढ से नवलगढ के सट कर स्थित है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें रास्ते बाबत् पेश करना आवश्यक हुआ है। खसरा नम्बर 24 व 25 में रास्ते बाबत खसरा नम्बर 697 के बिचो—बीच बिन्दु बी से सी तक 10 फीट चौडा 320 फुट लम्बा प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने—जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। जिससे प्रार्थीगण के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई कटान शुदा रास्ता चालू नही है इसलिए उक्त मांगे गये रास्ते के अलावा कोई अन्य विकल्प नही होने के कारण मेन सडक मुकुन्दगढ वाली से यह रास्ता नजदीक है। प्रार्थीगण को आने—जाने हेतु तथा कृषि साधन लाने—ले—जाने हेतु कोई समस्या का सामना नही कना पड़े, जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण अपने खेतों की बुआई निराई कटाई जोतेने आदि के लिए ट्रेक्टर वगैरह लाने—ले—जाने में काफी मुश्किलें होती है, तथा इनके खेत में आने—जाने का कोई भी कटाण का रास्ता नही है इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। ग्राम घोडीवारा खुर्द पटवार हल्का मुकुन्दगढ में स्थित खाता संख्या नया 120 पुरान 205 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बरा 24 रकबा 1.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 25 रकबा 1.23300 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हैक्टर स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 121 पुराना 201 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 1.09 हैक्टर स्थित है,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

जो अप्रार्थी की कब्जे की काश्त की कृषि भूमि तथा प्रार्थीगण की भूमि के लगते पश्चिमी दिशा से नजरी नक्शे दर्शायेनुसार बिन्दु बी से सी जिसकी लम्बाई 320 फिट व चौड़ाई 10 फिट स्थित है, जो कि अप्रार्थी के खेत के बिच में से रासते की मांग की गई है, जिससे प्रार्थीगण वर्तमान में आते-जाते भी है परन्तु रिकार्डेड रास्ता नही है प्रार्थीगण को आते-जाते भी है परन्तु रिकार्डेड रास्ता नही है प्रार्थीगण को आने-जाने के लिए अपने खेतों में पशुगाड़ी ट्रेक्टर आदि लाने-जे-जाने के लिए आवश्यकता है। प्रार्थीगण/आवेदकगण को अपनी काश्त की भूमि में आने-जाने के लिए कोई रास्ता नही है, और सबसे कम दूरी का रास्ता अप्रार्थी की उपरोक्त खसरा नम्बर नम्बरान् की भूमि मे से होता हुआ आगे सामान लाने-ले-जाने के लिए मांगा गया है, जिसकी सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्राथीगण उक्त रास्ते बाबत उपयुक्त व उचित प्रतिफल देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार दर्ज तथ्यों व प्रस्तुत नजरी नक्शे क अनुसार 10 फीट चौडा रास्ता व 320 फीट लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी के भूमि खसरा नम्बर 697 मे से नजरी नक्शे में दर्शायेनुसार बिन्दु सी तक दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी नम्बर नम्बर 02 को आदेशित किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता बिन्दु संख्या ए से सी तक दर्ज करे तथा रास्ता नया रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 की ओर से वकील श्री राकेश कुमार सारस्वत द्वारा अपना वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 राज पैराकार तहसीलदार नवलगढ़ उपस्थित आये। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज आवेदकगण की भूमि व अप्रार्थी की भूमि के केवल खसरा नम्बर स्वीकार है अन्य तमाम तथ्य गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है प्रार्थना पत्र भी कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया है। विस्तृत जवाब अतिरिक्त उत्तर में दिया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि व अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 697 की होना स्वीकार है। प्रार्थीगण की जमीन में आने-जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है का तथ्य पूर्णतया गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण जमीन में आने जाने हेतु सरकारी जोहड़ की जमीन मे से काफी वर्षो पूर्व का रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग-उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है। विस्तुत जवाब अतिरिक्त उत्तर में दिया गया है।

वकील अनावेदक नम्बर 1 की ओर से अतिरिक्त उतर पेश कर वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण की जमीन की पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी जवाबदेहन्दा की जमीन है। अप्रार्थी की जमीन के पश्चिम दिशा मे प्रार्थीगण का आवासीय भूखण्ड है जिसमें प्रार्थीगण ने दो पुख्ता दो दुकान बना रखी है तथा उक्त आवासीय भूखण्ड का रास्ता भी मुख्य सड़क मुकुन्दगढ से झुन्झुनू जाने वाली सड़क पर स्थित है तथा प्रार्थीगण की काश्त की जमीन में आने-जाने हेतु सरकारी जोहडी मे से रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण कर रहे है। प्रार्थीगण मात्र अपनी सुविधा सहुलियत के लिए अपने खेत से आवासीय भुखण्ड आने-जाने हेतु नया रास्ता कायम करने के लिए यह कानूनी प्रावधानों के विपरित गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पूर्णतया खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण अपने आवासीय भूखण्ड मे अपने खेत की जमीन से आने जाने हेतु गलत आधारो पर रास्ता मानकर व अप्रार्थी के फर्जी रूप से भाई भीमराज को बनाकर उसके द्वारा रास्ते बाबत लिखावट कर न्यायालय ग्राम न्यायालय नवलगढ़ में बउनवानी दावा प्रार्थना पत्र सहीराम आदि बनाम ओप्रकाश आदि दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा जिसमें प्रार्थीगण को कोई सफलता व किसी प्रकार का आदेश नही मिलने पर यह प्रार्थना पत्र गलत आधार व कानूनी प्रावधानों के विपरित पेश किया है जो पूर्णतया खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण की शामलाती कृषि जमीन खसरा नम्बर 24 व 25 में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

आने जाने का रास्ता उतरी दिशा में सरकारी जोहड़ी मे से है, जिसको प्रार्थीगण अरसे दराज से काम में ले रहे है इस रास्ते का हवाला भी एफ.आई.आर. नम्बर 67/2013 पुलिस थाना मुकुन्दगढ के मुकदमे सरकार बनाम सहीराम आदि के नक्शा मौका घटना स्थल में साफ–साफ दर्शाया गया है, परन्तु प्रार्थीगण जवाबदेहन्दा की शारीरिक विकलांगता व वृद्धावस्था का नाजायज रूप से फायदा उठाकर अपनी सुविधा व सहुलियत के लिए जवाबदेहन्दा की जमीन में से बीचों बीच रास्ता अपने आवासीय प्लाट में आने जाने हेतु कायम करना चाहते है। जबकि कानूनी प्रावधानों में से कोई आधार नहीं है प्रार्थीगण द्वारा गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो मय हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि पटवार हल्का घोड़ीवारा खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 24 व 25 रकबा 2.4000 हैक्टर धर्मेन्द्र, सुरेन्द्र सहीराम पुत्र मुकुन्दाराम, विमला पत्नी मुकुन्दाराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने जो रास्ता चाहा है वह दुसरे पटवार मण्डल मुकुन्दगढ की सीमा में स्थित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 24, 25 के उतर दिशा में खसरा नम्बर 21 रकबा 6.2000 हैक्टर किस्म गै.मु. जोहड व खातेदारी की भूमि के मध्य खसरा नम्बर 22 है जो संदीप पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट के नाम दर्ज है जो कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 24, 25 के खातेदार ग्राम घोड़ीवारा से फाटक क्रोस कर रेलवे पटरियों के साथ–साथ अपने खेत में आते–जाते है। वादी का खेत घोडीवारा खुर्द में स्थित है इस खेत की सीमा पटवार मण्डल मुकुन्दगढ की पूर्वी सीमा के लगती है। प्रार्थी सहीराम आने–जाने हेतु मुख्य सड़क सीकर–झुन्झुनू से लगता रास्ता (अस्थाई) रूप से काम में लेता है जो कि सड़क की पूर्वी दिशा में स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। यह रास्ता जिस खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है वह खसरा नम्बर 884/698 रकबा 0.050 हैक्टर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.08 हैक्टर जो कि जमाबंदी सम्वत् 2075 में सिवायचक नगरपालिका मुकुन्दगढ के नाम से दर्ज है, खसरा नम्बर 697 रकबा 1.09 हैक्टर ओमप्रकाश पुत्र द्वारकाप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार निवासी मुकुन्दगढ के नाम रिकार्ड दर्ज है एवं खसरा नम्बर 697 में स्थगन आदेश माननीय उपखण्ड न्यायालय के मुकदमा नम्बर 188/2013 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा में जो रास्ता ख.न. 697 के मध्य के पूर्व की और से जो रास्ता दर्शाया गया है मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस ख.न. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 में दर्शित नही है। अं.धारा 251ए में दिये जाने वाले रास्ते में अपेक्षित रास्ते की पहूंच रिकार्डेड रास्ता तक होना आवश्यक होता है। आवेदक द्वारा केवल 10X320 व0फीट का रास्ता चाहा गया है, जिससे किसी अन्य रास्ते तक पहूंच होना प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है वह तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 884/698, खसरा नम्बर 698 व खसरा नम्बर 697 मे से होकर गुजरता है। प्रार्थी ने सिर्फ खसरा नम्बर 697 के खातेदार को ही पक्षकार बनाया है। खसरा नम्बर 698 नगरपालिका मुकुन्दगढ के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने नजरी नक्शा में स्वयं का भूखण्ड बताया है, आवासीय व नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:30:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: